तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 27/2023 रामसिंह बनाम राज. सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/7/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० तहसीलदार उच्चैन से जवाब अप्राप्त पत्रावली वास्ते जवाब तहसीलदार दिनांक 7/8/24 को पेश हो। (sd)	
07/08/2024	पत्रावली पेश हुई अभि० प्रार्थी उप० पैरोकार सरकार की ओर से NTDR उच्चैन उप० पैरोकार सरकार से जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/8/24 को पेश हो। (sd)	(sd)
14/8/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 5/9/24 को पेश हो। (sd)	
5/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० NTDR उच्चैन उप० बहस हेतु समय चाहा है। एक अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 6/9/24 को पेश हो। (sd)	(sd)
6/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 16/10/24 को पेश हो। (sd)	
16/10/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 28/10/24 को पेश हो। (sd)	
28/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश 5/11/24 को पेश हो। Rahul	
5/11/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उप० प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय प्रथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	[illegible]
	यह पत्रावली फैसल मुताबिक हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Rahul उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 27 / 2023

1. रामसिंह पुत्र प्यारे जाति जाट निवासी नगला परमा वारह पट्टी उच्चैन।
.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0
..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

दिनांकः—05.11.2024

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 30 / 1.56, 29 / 1.07 बाके ग्राम बारहपट्टी एवं खसरा नम्बर 177 / 0.21, 178 / 0.38, 183 / 0.32, 184 / 0.06 बाके ग्राम जुगलापट्टी में स्थित है जिसमें मुझ प्रार्थी की जाति ठाकुर गलत दर्ज है जबकि मेरी जाति जाट है। उक्त आराजी में मेरी जाति गलत दर्ज होने के कारण में अपने कृषि कार्य हेतू बैंक से लोन नहीं ले पाता हूं और ना ही किसी भी सरकारी योजना का लाभ ले पाता हूं। जमाबंन्दी सम्बत् 2015—2018 में मेरी जाति ठाकुर सिनसिनवार दर्ज थी जो कि वाद में सिनसिनवार शब्द को हटा कर केवल सिनसिनवार ही रहने दिया जबकि सिनसिनवार जाट जाति का एक गोत्र है एवं सिनसिनवारों को ठाकुर की एक उपाधि प्राप्त है अतः इसे सिनसिनवार ठाकुर भी कहते है लेकिन यह जाट जाति का एक गोत्र है अतः जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी के गोत्र का अंकन किया गया है मेरी जाति को दर्ज नहीं किया गया है। दिनांक 10.06.2023 को जब मुझ प्रार्थी ने तहसीलदार उच्चैन से अपनी जाति जमाबंन्दी में दुरस्त कराने के लिये कहा तो अप्रार्थी ने साफ इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा जिसके कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी में प्रार्थी की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

Rahul Srivastava
5/11/24.

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में खसरा नम्बर 29 व 30 में प्रार्थी रामसिंह पुत्र प्यारे जाति ठाकुर दर्ज रिकार्ड है एवं इससे पहली जमाबंदी सम्वत् 2074 में भी खसरा नम्बर 29 व 30 में प्रार्थी की जाति ठाकुर दर्ज है इसी प्रकार ग्राम जुगलापट्टी की जमाबंदी सम्वत् 2075–78 एवं सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 177,178,183,184 में प्रार्थी की जाति ठाकुर दर्ज है सम्वत् 2015 की जमाबंदी में प्रार्थी की जाति ठाकुर सिनसिनवार दर्ज रिकार्ड है। पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर ग्रामीणों से प्रार्थी की जाति के बारे में जानकारी की गई तो प्रार्थी की जाति के बारे में ग्रामीणों से प्रार्थी की जाति के बारे में जानकारी की गई तो प्रार्थी की जाति के बारे में ग्रामीणों ने बताया की सिनसिनवार एक जाट जाति का गोत्र है एवं रामसिंह पुत्र प्यारे जाति से जाट है अतः प्राप्त ग्रामीणों से जानकारी के मुताबिक प्रार्थी रामसिंह पुत्र प्यारे की जाति जाट है अतः प्रार्थी रामसिंह पुत्र प्यारे की जाति जाट किया जाना उचित होगा।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी की जाति जमाबंदी में ठाकुर के स्थान पर जाट किये जाने का निवेदन किया। मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2075–78 एवं 2025–28 प्रार्थी द्वारा पेश राशन कार्ड की प्रति एवं जाति प्रामाण पत्र के फोटोप्रति आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा पेश जबाव का अवलोकन किया गया। समस्मत दस्तावेजों एवं तहसीलदार उच्चैन की रिपोट के आधार पर प्रार्थी की जाति को जमाबन्दी में ठाकुर के स्थान पर जाट शुद्ध किया जाना उचित होगा।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बारहपट्टी के हाल जमाबन्दी सम्बत् 2075–2078 में खसरा नम्बर 29/1.07, 30/1.56 एवं ग्राम जुगलापट्टी में खसरा नम्बर 177/0.21, 178/0.38, 183/0.32, 184/0.06 में प्रार्थी रामसिंह की जाति ठाकुर के स्थान पर जाट शुद्ध किया जावे। तहसीलदार उच्चैन को इस बावत् कैफियत जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 05.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava 5/11/24

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)